

प्रताप युनिवर्सिटी vs वाण्डाल  
 वाद सं. ५१/२०२५

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	<p>२५/५/२५</p> <p>०२/५/२५</p> <p>०९/५/२५</p>	<p>आज दिनांक २५/०५/२५ को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कम्प्लेक्स कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ०२/५/२५ को पेश हों।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता गण उम्मेदवार उपस्थित। बहस के दौरान रिपोर्ट को अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष द्वारा अक्षर चालू किया है अतः पत्रावली वास्तविक बहस के दौरान रिपोर्ट दिनांक ०९/०५/२५ को पेश की</p>
		<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता गण उम्मेदवार उपस्थित। बहस के दौरान रिपोर्ट पर सुनी गई। उम्मेदवार अक्षर चालू के दौरान रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है। कोर्ट की राय कि रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है अतः तदधीनकार कोर्ट को कोर्ट से अक्षर चालू रिपोर्ट अनुसार वाद की डी कठिनाई की रिपोर्ट जाल है। (विस्तृत निर्णय प्रथम के लिए वाद कोर्ट संलग्न है) पत्रावली उम्मेदवार द्वारा दायर करने के बाद वाद की डी डायरीवाला दफ्तरे है।</p>

अभिभाषक संघ (अभिवक्ता)

अभिभाषक संघ (अभिवक्ता)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर  
 मुख्यमन्त्र-जयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर  
 मुख्यमन्त्र-जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दाई  
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी )

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व इजलास श्यामा राठौड, आर.ए.एस

वाद संख्या : 49/2021

निर्णय दिनांक : 09.05.2024

1. प्रताप यूनिवर्सिटी जरिये को-ट्रस्टी सुरभि भदोरिया पत्नी शैलेन्द्र भदोरिया जाति राजपूत निवासी मकान नं 8 कॉलोनी पश्चिम मार्ग, थर्ड फ्लोर, वसन्त विहार ऐरिया, नई दिल्ली।

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र भैरुराम जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम लबाना तहसील आमेर जिला जयपुर राज।
2. राजेश कुमार पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम लबाना तहसील आमेर जिला जयपुर राज।
3. रितेश कुमार पुत्र गुलजारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लबाना तहसील आमेर जिला जयपुर राज।
4. हेमपाल पुत्र गेन्दीलाल जाति मीणा निवासी प्लॉट नं 8 कैलाशपुरी, आमेर बाईपास रोड, रामगढ रोड, जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर तहसील कार्यालय जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण



वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
निर्णय

भयपक्षकारान द्वारा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है था अवलोकन अनुसार प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट विधिवत व उपयुक्त भी प्रदर्शित होती है। जिसके संदर्भ में इसी भी पक्ष द्वारा कोई मान्य/औपचारिक आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः तहसीलदार आमेर की ओर से वाके ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 579 रकबा 0.4280 हैक्टेयर संदर्भ में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि

क्र. संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	प्रताप यूनिवर्सिटी जरिये सचिव सुरभि भदोरिया पत्नी शैलेन्द्र भदोरिया हि. 1/2 जाति राजपूत निवासी मकान नं 8 कॉलोनी पश्चिम मार्ग, थर्ड फ्लोर, वसन्त विहार ऐरिया, नई दिल्ली जिला साउथ वेस्ट दिल्ली खातेदार। बाबूलाल पुत्र भैरुराम हि. 1/10 जाति बागडा ब्राह्मण सा0 लबाना खातेदार राजेश कुमार पुत्र रामेश्वर हि. 1/10 जाति मीणा सा. लबाना खातेदार रितेश कुमार पुत्र गुलजारीलाल हि. 1/10 जाति ब्राह्मण सा. लबाना खातेदार हेमपाल पुत्र गेन्दीलाल हि. 1/5 जाति मीणा सा. प्लॉट नं 8 कैलाशपुरी, आमेर बाइपास रोड, रामगढ रोड, जयपुर खातेदार	579	0.4280	बारानी 2	1.71

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्र. संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	प्रताप यूनिवर्सिटी जरिये सचिव सुरभि भदोरिया पत्नी शैलेन्द्र भदोरिया हि. संपूर्ण जाति राजपूत निवासी मकान नं 8 कॉलोनी पश्चिम मार्ग, थर्ड फ्लोर, वसन्त विहार ऐरिया, नई दिल्ली जिला साउथ वेस्ट दिल्ली खातेदार।	579 मूल	0.2140	बारानी 2	

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर  
मुख्यालय-जयपुर

2	बाबूलाल पुत्र भैरुराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण सा० लबाना खातेदार	579/1	0.0428	बारानी 2	
		किता 1	0.0428		
3	राजेश कुमार पुत्र रामेश्वर हि. संपूर्ण जाति मीणा सा. लबाना खातेदार	579/2	0.0428	बारानी 2	
		किता 1	0.0428		
4	रितेश कुमार पुत्र गुलजारीलाल हि. संपूर्ण जाति ब्राह्मण सा. लबाना खातेदार	579/3	0.0428	बारानी 2	
		किता 1	0.0428		
5	हेमपाल पुत्र गेन्दीलाल हि. संपूर्ण जाति मीणा सा. प्लॉट न 8 कैलाशपुरी, आमेर बाइपास रोड, रामगढ रोड, जयपुर खातेदार	579/4	0.0856	बारानी 2	
		किता 1	0.0856		

श्रेष्ठ विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व  
उन कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि  
रोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...  
का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.05.24 को जारी की गई।

दस्तखत .....  
मुहताब कलक्टर (फिस्ट ट्रेड) आमेर  
आहिदा .....  
मुहताब-जयपुर

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
य अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
प वह सबूत			महन्ताना वकील		
गाना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
रिक					
	मीजान			मीजान	

इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या  
दर्ज करना चाहिए।